कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/2020–21 दिनांकः– 21/12/21

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा–मुख्यालय,
समस्त......

अतिआवश्यक

विषयः– गैर सरकारी विद्यालयों में विज्ञान संकाय में संचालित कृषि विज्ञान विषय को कृषि संकाय में संचालित किये जाने की स्वीकृति के क्रम में।

प्रसंगः– शासन का पत्र क्रमांकः–प.9 (13)शिक्षा–5/2021 दिनांक 20.12.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के अनुसरण में गैर सरकारी विद्यालय जिनमें विज्ञान संकाय में कृषि विषय संचालित है, उन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021–22 से कृषि विषय को विज्ञान संकाय के एक विषय के स्थान पर पृथक से कृषि संकाय के रूप में संचालित किये जाने की अनुमति प्रति विद्यालय निर्धारित राशि 50,000/–रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजकोष में जमा करवाने की शर्त पर एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रार्थना पत्र मय, विज्ञान संकाय में कृषि विषय के मान्यता आदेश की प्रति एवं निर्धारित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट आपके कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने पर उन विद्यालयों के प्रकरण इस कार्यालय को प्रस्तुत कर निदेशालय के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी किए जावें।

21.12.21

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को पत्रांक **पं.9(13) शिक्षा–5/2021 दिनांकः– 20.10.2021** के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शिक्षा संकुल जयपुर को मान्यता पोर्टल पर स्क्रॉलिंग न्यूज में प्रदर्शित करने हेतु।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. समस्त संस्था सचिव –राजस्थान राज्य में संचालित समस्त गैर सरकारी विद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर